

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. C/3444      Jabalpur, dated 22.8.2017.

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.1-6/89/XXI-B(1)3165/2017, Bhopal, dated 18.8.2017 as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judges, Ujjain, Panna, Hoshangabad and Ashoknagar for information and necessary action with request that the same be served on the concerned officers also.
5. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.

*Vivek Saxena*  
22.8.2017  
(Vivek Saxena)  
O.S.D. (D.E.)



मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2017

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 3165/2017.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985. (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 12, 14, तथा 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र / सेशन खण्ड
2.	श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
12.	श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना	पन्ना	पन्ना
14.	श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
52.	श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

**NOTIFICATION**

F-N01-6/89/XX1-B(1) 3165/2017,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/89-XX1-B(1) dated 3<sup>rd</sup> April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated the 17<sup>th</sup> April, 1998, namely:-

21 AUG 2017  
REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR  
O.S. D.C. 22

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 2, 12, 14, and 52 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
2.	Shri Alok Kumar Mishra, IX <sup>th</sup> Additional Sessions Judge, Ujjain	Ujjain	Ujjain
12.	Shri Amitabh Mishra, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Panna	Panna	Panna
14.	Shru Upendra Sonkar, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
52.	Shri Virendra Patidar, Sessions Judge, Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सक्सेना)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 3165/2017.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक सी/2969/III-6-3/89, दिनांक 13 जुलाई, 2017 के संदर्भ में,
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन, पन्ना, होशंगाबाद एवं अशोकनगर म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं ( म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

( आर० के० वाणी )  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग